बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

शासन के पत्र संख्या 541/सत्तर–3–2022 दिनांक 24/02/2022 के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित सूचनाओं को विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर अपलोड किये जाने के हेतु

1. **विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य :–**

विश्वविद्यालय में प्रवेश, शोध, सम्बद्धता आदि ऑन लाईन किये जाने की प्रक्रिया संचालित है विश्वविद्यालय द्वारा लगातार प्रदेश में सबसे पहले परीक्षाफल घोषित किये जाने का गौरव प्राप्त है। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय सभी वर्गो एवं सम्प्रदाय को ध्यान में रखते हुये सभी व्यक्तियों को उचित रोजगारपरक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिये कृत संकल्पित है।

ज्ञान की उपयोगी शाखाओं के शिक्षण की व्यवस्था कराना तथा अनुसंधान तथा ज्ञान की वृद्धि तथा प्रसार करना। किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता देना तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों को नियंत्रित करना। उपाधियो, डिप्लोमा, एवं अन्य शैक्षिक, विशिष्टताओं को संस्थित करना। परीक्षा के आधार पर उपाधि प्रदान करना।

2. **अधिकारी एवं उनकी शक्तियां और कर्तव्य :–**

विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी है :–

कुलपति :–कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी है। वह विश्वविद्यालय और उसके सम्बद्ध महाविद्यालयों पर नियंत्रण रखता है। कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठकों एवं विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करना तथा विश्वविद्यालय में शैक्षिक वातावरण एवं अनुशासन बनाये रखना। कुलपति कार्य परिषद, विद्या परिषद एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष होगा। कुलपति ऐसी शक्तिओं का प्रयोग करेगा जिन्हे परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

प्रतिकुलपति :–कुलपति द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वाहन, एंव कुलपति की अनुपस्थिति में दैनन्दिन कार्यो का निर्वहन करना।

वित्त अधिकारी :– विश्वविद्यालय के बजट को वित्त समिति एवं कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना है तथा विश्वविद्यालय के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना। विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण, भवन, भूमि फर्नीचर तथा उपकरण की अद्यतन पंजिकायें अनुरक्षित करना, अनाधिकृत व्यय एवं अन्य वित्तीय अनिमिताओं की छानबीन करना तथा समय समय पर आडिट कराना एवं वित्त से सम्बन्धित अन्य मामलों का निष्पादित करना।

कुलसचिव :–कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी है जिन्हे विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों का रखरखाव, कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण, अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने का अधिकार प्राप्त है। कुलसचिव सभी समितियों (परीक्षा समिति एवं वित्त समिति को छोडकर) का पदेन सचिव होते है।

परीक्षा नियंत्रक :– परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी है। विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षायें, परीक्षा समिति एवं कुलपति के निर्देशन में सम्पादित कराना उनके आधार पर उपयुक्त अभ्यर्थियों को उपाधियां एवं अंक तालिकायें प्रदान करना तथा परीक्षा एवं गोपनीय अभिलेखों का संरक्षण करना।

संकायों का संकायाध्यक्ष :–

संकाय समितियों की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा समितियों के विभिन्न निर्णयो को लागू कराना। संकाय की वित्तीय एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुलपति के संज्ञान में लाने हेतु उत्तरदायी।

छात्र कल्याण अधिष्ठता :–

छात्रों की यथासम्भव सहायता करना तथा भविष्यलक्षी छात्रों का मार्ग दर्शन, अवकाशों तथा शैक्षिक पर्यटन की सुविधा सुलभ कराना है।

कुलानुशासक :–

विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखना।

विभागाध्यक्ष :–

सम्बन्धित विभाग में प्रवेश एवं अन्य दायित्वों का निर्वहन करना तथा विभाग की सुचारू संचालन के लिये उत्तरदायी।

पुस्तकालयाध्यक्ष :–

विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय की सुचारू संचालन तथा पुस्तकों का सम्पूर्ण ब्यौरा एवं रख रखाव तथा शोध व शिक्षण को बढावा देने के लिये आवश्यक तरीके अपनाने का दायित्व।

उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव :–

उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयत सेवा) 1975 अधिनियम उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत कुलसचिव, वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक के कार्यो में सहयोग तथा कुलपति जी द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्व।

लेखा अधिकारी :–

वित्त अधिकारी के निर्देशन में वित्त एवं लेखा से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन।

3. **विनिश्चिय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तदायित्व के माध्यम सम्मिलित है :–**

विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त कार्यो के निस्तारण एवं सुचारू संचालन हेतु नीति निर्माण, प्रकियाओं का निर्धारण एवं तत्सम्बन्धी निर्णय निम्नलिखित समितियों द्वारा लिये जाते है :–

1. कार्य परिषद, 2. सभा 3. विद्या परिषद 4. वित्त समिति 5. संकाय परिषद 6. प्रवेश समिति
7. परीक्षा समिति

उपरोक्त प्राधिकारियों की शक्तिओं का विस्तृत विवरण उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 व विश्वविद्यालय की परिनियमावली, विनियम में उपलब्ध है।

4. **कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड :–**

विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, सम्बद्धता आदि शासन द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत ही सम्पादित किये जाते है।

5. **विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन धारित या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, और अभिलेख**
विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन धारित या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, परिनियम, विनियम एवं समय समय पर शासन द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों में उपलब्ध प्रावधानो के अनुसार किया जाता है।

6. **विश्वविद्यालय के दस्तावेजों जो विश्वविद्यालय द्वारा धारित या उसके नियंत्रण में है प्रवर्गो का विवरण :–**
विश्वविद्यालय के सभी छात्र/छात्राओं के विभिन्न शैक्षिक एवं गोपनीय अभिलेखों, कार्य परिषद की कार्यवाही, विद्या परिषद की कार्यवाही वित्त समिति की कार्यवाही, पाठयक्रम समितियों की कार्यवाही, संकाय परिषदो की कार्यवाही आदि।

7. **किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है :–**
विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये फीडबैक की व्यवस्था विद्यमान है।

8. **बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमे दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भाग, रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगा :–**
विभिन्न परिषदों बोर्डो की बैठकों के गठन एवं कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच हेतु विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर प्रदर्शन की व्यवस्था प्रकियाधीन है।

9. **बुन्देखण्ड विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका :–**
विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर उपलब्ध है।

10. **विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की गणना की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपसम्बन्धित है :–**
उ0. प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमों, विनियम व शासन के सुसंगत शासनादेशों में विहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

11. **विश्वविद्यालय की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट :–**
सुलभ संदर्भ हेतु बजट की प्रति उपलब्ध है।

12. **सहायिकी कार्यकमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकमों के फायदाग्रहियों के व्यौरे सम्मिलित है :–**
विश्वविद्यालय द्वारा कोई सहायिकी(Subsidy)प्रदान नहीं की जाती है।

13. **विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां**
विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त अनुज्ञापत्रों, प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ता फर्म शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुसार किया जाता है।

14. **किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित होगा :–**
विश्वविद्यालय द्वारा ऑन लाईन जनसूचना, ग्रीवान्स की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

15. **सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां , जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है :–**
सूचना अभिप्राप्त करने वाले नागरिकों को मांगी गयी सूचना उनके ईमेल पर ही उपलब्ध करा दी जाती है तथा उनके लिये अतिथि कक्ष की व्यवस्था भी है।

16. **लोक सूचना अधिकारियो के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां :–**

प्रथम अपीलीय अधिकारी	:– प्रो0 मुकेश पाण्डेय, कुलपति
जनसूचना अधिकारी	: – श्री विनय कुमार सिंह, कुलसचिव
सहा0 जनसूचना अधिकारी	:– श्री संतोष कुमार सिंह, सहा0 कुलसचिव

17. विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सूचनायें समय समय पर विश्वविद्यालय की बेबसाईट पद प्रदर्शित की जाती है तथा उनको अद्यतन भी किया जाता है।

दिनांक :–**25 फरवरी, 2022**

ENGLISH TRANSLATION

Bundelkhand University, Jhansi

In compliance with the government's letter number 541 / seventy-3-2022 dated 24/02/2022, for uploading the information mentioned under section-4 (1) (b) of the Right to Information Act, 2005 on the website of the university

1. Specifications, functions and duties

The process of admission, research, affiliation etc. in the university is conducted online. The University has the distinction of being the first in the state to declare the results continuously. Bundelkhand University is committed to provide proper employment-oriented and quality education to all people, keeping in mind all classes and communities.

To arrange for teaching of useful branches of knowledge and to increase and spread research and knowledge. To give affiliation or recognition to any college and to control affiliated colleges. To institute degrees, diplomas and other academic distinctions. Award of degree on the basis of examination.

2. Officers and their powers and duties

Following are the officers of the University-

Vice-Chancellor:-
The Vice-Chancellor is the principal executive and academic officer of the University. He exercises control over the university and its affiliated colleges. To preside over the meetings of the University and any convocation ceremony of the University in the absence of the Chancellor and to maintain the academic atmosphere and discipline in the University. The Vice-Chancellor will be the member and chairman of the Executive Council, Academic Council and Finance Committee. The Vice-Chancellor shall exercise such powers as may be specified by the Statutes and the Ordinances.

Pro-Vice-Chancellor:-
To perform the duties assigned by the Vice-Chancellor and to discharge the day-to-day work in the absence of the Vice-Chancellor.

Finance Officer:-
To present the budget and finance of the university before the committee and executive council and keep the account of income and expenditure of the university. General supervision of university funds,

Registrar

maintaining updated registers of buildings, land, furniture and equipment, investigating unauthorized expenditure and other financial irregularities and getting audits done from time to time and executing other matters related to finance.

Registrar:-

The Registrar is a full-time officer of the University, who has the authority to maintain the properties of the University, disciplinary control over the employees, authenticate the records. The Registrar is the designated secretary of all the committees (except the examination committee and the finance committee).

Controller of Examinations:-

Controller of Examinations is a full time officer of the University. To conduct the examinations of the University and affiliated colleges, under the direction of the Examination Committee and the Vice-Chancellor and to provide degrees and mark sheets to suitable candidates on the basis of them, and to preserve the examination and confidential records.

Dean of Faculties:-

To preside over all the meetings of the faculty committees and to implement various decisions of the committees and responsible for bring to the notice of the Vice-Chancellor, the financial and other needs of the faculty.

Student Welfare Officer:-

Helping the students as much as possible and guiding the prospective students, To facilitate holidays and educational tourism.

Proctor :-

To maintain the discipline in the University.

Head of the department :-

Admission in the concerned department and discharge of other responsibilities. Responsible for the smooth running of the department.

Librarian :-

Responsibility for the smooth operation of the Central Library of the University and complete details and maintenance of books and adopting necessary methods for the promotion of research and teaching.

Deputy Registrar / Assistant Registrar:-

UP State University (Central Service) Act 1975 Under the provisions of section 17 of the UP State University Act 1973, cooperation in the work of the Registrar, Finance Officer and Controller of Examinations and other responsibilities assigned by the Vice-Chancellor.

Accounting Officer:

Discharge of responsibilities related to finance and accounts under the direction of Finance Officer.

Registrar

3. **Procedure to be followed in the decision making process including channels of supervision and accountability**

For the disposal and smooth operation of all the works related to the university, policy formulation, determination of procedures and related decisions are taken by the following committees:

1.Executive Council, 2. Assembly, 3. Academic Council, 4. Finance Committee, 5. Faculty Council, 6. Admission Committee, 7. Examination Committee

Detailed description of the powers of the above authorities available in UP State University Act 1973 and Statutes of the University, Regulation.

4. **Norms established by itself for discharge of functions:-**
   All the works related to the university such as entrance examination, affiliation, etc. are done within the stipulated time by the government

5. **Rules, regulations, instructions, manuals and records held by the University or under the control of the University or used by the employees of the University for the discharge of their functions.**
   This is done as per the provisions available in the State University Act 1973, Statutes, Regulations and relevant mandates issued by the government from time to time.

6. **Categories of documents of the University held by or under the control of the University**
   Details:-
   Various academic and confidential records of all the students of the university, proceedings of the working council, proceedings of the academic council, proceedings of the finance committee, proceedings of the course committees, proceedings of the faculty councils, etc.

7. **Particulars of any arrangement that exists for consultation or representation by members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation**
   The feedback system for the members of the public is available on the University website.

8. **Boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part, as or for the purpose of its advice, and as to whether those boards, councils, The meetings of the committees and other bodies shall be open to the public or the minutes of such meetings shall be accessible to the public.**
   The arrangement for display on the website is under process.

9. **The directory of officers and employees of Bundekhand University**
   Available on the website of the university.

Registrar
Bundelkhand University
JHANSI

10. **Monthly remuneration received by each officer/employee of the University, including the method of calculation of compensation, which is as sub-related in its regulations:-**
Prescribed in the UP State University Act, Statutes, Regulations and relevant mandates of the Government, action is taken as per the provisions.

11. **Budget allocated to each of its agencies, indicating particulars of all plans of the University, proposed expenditures and reports on disbursements made:-**
A copy of the budget is available for ready reference.

12. **Manner of execution of subsidy programs including amount allocated and details of beneficiaries of such programs :-**
No subsidy is provided by the University.

13. **Particulars of Recipients of Concessions, Permits or Authorizations Granted by the University**
The Recipients of Permits, Authorizations granted by the University are made according to the rules and standards prescribed by the Government.

14. **Details in respect of any information available to or held by it in an electronic form.**
Online public information, grievance facility is provided by the University.

15. **Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of any library or reading room, if maintained for public use.**
The requested information is made available to the citizens seeking information on their e-mail only and there is also a guest room arrangement for them.

16. **Names, designations and other particulars of Public Information Officers:-**
First Appellate Officer - Prof. Mukesh Pandey, Vice Chancellor
Public Information Officer- Mr. Vinay Kumar Singh, Registrar,
Assistant Public Information Officer- Mr. Santosh Kumar Singh, Assistant Registrar

17. Other information related to the University is displayed on the website of the University from time to time and they are also updated.

Date :- February 25, 2022

Registrar
Bundelkhand University
JHANSI

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

आय–व्ययक

वित्तीय वर्ष 2022–23

(माह नवम्बर, 2022 तक अद्यतन)

(पंकज वर्मा)

(दिनेश कुमार)
सहायक लेखाकार

AR(F) 10.12.22

10.12.2022
Finance Officer
Bundelkhand University
JHANSI (U.P.)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

आय-व्ययक एक दृष्टि में

(धनराशि रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21 का वास्तविक	वित्तीय वर्ष 2021-22 का वास्तविक	वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित अनुमान	वित्तीय वर्ष 2022-23 का सितम्बर तक अद्यतन	माह अक्टूबर, 2022	माह नवम्बर, 2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 का नवम्बर, तक अद्यतन
1	राजस्व प्राप्तियां (नियमित)	7570.50	9331.40	9963.60	3228.24	220.86	188.57	3449.11
2	राजस्व प्राप्तियां (SFS)	2849.91	3224.46	3526.91	1596.58	774.54	582.79	2371.12
3	पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	0.00	1670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्राप्तियों का योग	**10420.40**	**12555.86**	**15160.51**	**4824.82**	**995.41**	**771.36**	**5820.23**
1	राजस्व व्यय (नियमित)	3620.39	4301.04	7328.48	2944.99	451.20	641.04	3396.19
2	राजस्व व्यय SFS)	2715.48	2704.36	3310.00	1204.33	210.26	211.34	1414.58
3	पूंजीगत व्यय	114.33	461.89	4408.00	3.48	0.00	6.45	3.48
	व्यय का योग	**6450.20**	**7467.29**	**15046.48**	**4152.79**	**661.45**	**858.83**	**4814.25**
	अंतिम अवशेष	**3970.20**	**5088.57**	**114.03**	**672.03**	**333.95**	**-87.47**	**1005.98**

(पंकज वर्मा) डी.ई.ओ. (दिनेश कुमार) AR(F)

10/12/2022

Finance Officer
Bundelkhand University
JHANSI (U.P.)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

वित्तीय वर्ष 2021–2022 का संशोधित एवं वित्तीय वर्ष 2022–2023 का अनुमानित आय–व्यय

01–राजस्व आय (नियमित)

(धनराशि रू. लाख में)

क0 सं0	आय का शीर्षक / मानक मद	वास्तविक 2020–2021	वास्तविक 2021–2022	मूल अनुमान 2022–2023	वित्तीय वर्ष 2022-23 का सितम्बर तक अद्यतन	अक्टूबर, 2022	नवम्बर, 2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 का नवम्बर तक अद्यतन
1.	1.01–परिसर के नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों से प्राप्त शुल्क	473.05	781.28	710.00	235.39	98.01	79.58	412.99
2.	1.02–संस्थागत छात्रों से प्राप्त शुल्क	5360.70	6047.84	6776.00	2343.25	26.99	22.99	2393.23
3.	1.03–व्यक्तिगत छात्रों से प्राप्त शुल्क	30.75	35.52	40.10	22.34	3.64	4.57	30.56
4.	1.04–शोध पंजीकरण एवं मूल्यांकन शुल्क	26.38	0.00	100.00	12.54	17.47	18.999	49.01
5.	1.05–प्रपत्रों की बिक्री से आय	0.61	3.93	5.00	6.65	0.20	0.20	7.04
6.	1.06–नष्ट सामग्री रद्दी आदि की बिकी से आय	0.24	8.75	10.00	16.71	0.00	0.00	16.71
7.	1.07–विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं से आय	118.68	19.28	145.25	86.66	13.10	12.03	111.78
8.	1.08–विनियोजित धनराशि से अर्जित ब्याज	1134.33	1240.86	1400.00	392.06	49.85	20.32	462.22
9.	1.09–सम्बद्धता एवं मान्यता शुल्क	70.24	108.42	100.00	14.76	5.10	8.00	27.86
10.	1.10–विविध आय	52.97	770.82	80.90	65.68	4.24	16.60	86.51
11.	1.11–छात्रवृत्ति	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	1.12–स्ववित्त पोषित योजना अंश से आय	290.00	296.42	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	1.13–बी.यू.आई.सी. से प्राप्त आय	4.62	7.27	10.00	8.72	2.27	1.02	12.01
14.	1.14–राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	7.92	11.03	20.35	6.50	0.00	0.00	6.50
15.	1.15–यू0जी0सी0 से प्राप्त अनुदान	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	1.16–अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान	0.00	0.00	15.00	16.99	0.00	4.26	21.25
	योग :–	**7570.50**	**9331.40**	**9963.60**	**3228.24**	**220.86**	**188.57**	**3637.68**

(पंकज वर्मा)

(दिनेश कुमार)
सहायक लेखाकार

AR(F)

Finance Officer
Bundelkhand University
JHANSI (U.P.)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

वित्तीय वर्ष 2021–2022 का संशोधित एवं वित्तीय वर्ष 2022–2023 का अनुमानित आय–व्यय

02–पूँजीगत् आय (नियमित) (धनराशि रू. लाख में)

क्र0	आय का शीर्षक	वास्तविक	वास्तविक	मूल अनुमान	वित्तीय वर्ष 2022-23 का सितम्बर तक अद्यतन	अक्टूबर, 2022	नवम्बर, 2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 का नवम्बर तक अद्यतन
स0	मानक मद	2020–2021	2021–2022	2022–2023				
1.	2.01–पूँजीगत (शासकीय अनुदान)	0.00	0.00	1670.00	0	0	0	0
	योग :–	**0.00**	**0.00**	**1670.00**	0	0	0	0

(पंकज वर्मा)
डी.ई.ओ.

(दिनेश कुमार)
सहायक लेखाकार

AR(F)

Finance Officer
Bundelkhand University
JHANSI (U.P.)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

वित्तीय वर्ष 2021–2022 का संशोधित एवं वित्तीय वर्ष 2022–2023 का अनुमानित आय–व्यय

03–राजस्व व्यय (नियमित)

(धनराशि रू. लाख में)

क0 सं0	व्यय का शीर्षक मानक मद	वास्तविक 2020–2021	वास्तविक 2021–2022	मूल अनुमान 2022–2023	वित्तीय वर्ष 2022-23 का सितम्बर तक अद्यतन	अक्टूबर, 2022	नवम्बर, 2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 का नवम्बर तक अद्यतन
1.	3.01–शिक्षक वर्ग को वेतन तथा भत्ते	711.10	797.00	830.00	382.44	66.27	68.17	516.88
2.	3.02–शिक्षणेत्तर वर्ग को वेतन तथा भत्ते	1166.04	1181.06	1166.00	530.51	94.37	91.11	715.98
3.	3.03–यात्रा–भत्ता (समस्त वर्ग)	0.00	0.00	30.00	9.80	2.54	2.06	14.40
4.	3.04–कार्यालय व्यय	308.39	333.87	394.00	248.28	55.58	24.23	328.09
5.	3.05–मुद्रण एवं लेखन सामग्री	283.71	330.49	755.00	480.16	0.46	155.09	635.72
6.	3.06–परीक्षा संचालन पर व्यय	221.18	240.76	400.00	380.39	26.96	16.35	423.70
7.	3.07–विविध व्यय (शैक्षणिक विभाग)	6.48	6.70	153.93	3.66	0.64	3.26	7.55
8.	3.08–पुस्तकालय	18.95	16.50	26.00	9.82	0.02	4.94	14.77
9.	3.09–प्रशासनिक, छात्रावास एवं संकाय भवनों का अनुरक्षण	17.42	66.54	120.00	54.25	1.42	4.89	60.56
10.	3.10–आवासीय भवनों का अनुरक्षण	0.00	0.00	100.00	13.28	0.56	3.23	17.08
11.	3.11–छात्रावासों की सुविधाओं पर व्यय	7.58	24.67	50.00	12.95	0.47	4.71	18.13
12.	3.12–उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण (प्रशा0 कार्या0)	14.85	33.53	80.00	28.66	11.79	16.60	57.05
13.	3.13–उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण (संकाय)	7.42	23.92	120.00	9.24	0.12	33.63	42.98
14.	3.14–खेलकूद/क्रीड़ा गतिविधियों पर व्यय	2.94	14.97	25.00	5.08	0.22	2.56	7.86
15.	3.15–चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा बीमा	0.60	4.75	30.00	0.00	0	0	0.00
16.	3.16–कम्प्यूटर के कय एवं अनुरक्षण पर व्यय	21.45	44.51	140.00	1.09	0	120	121.09
17.	3.17–कन्टनजेन्सी व्यय (सफाई, आउट सोर्सिंग, सुरक्षा आदि)	363.25	327.54	454.20	112.22	79.93	1.51	193.66
	योग :–	**3151.36**	**3446.82**	**4874.13**	**2281.81**	**341.36**	**552.32**	**3175.49**

(पंकज शर्मा)
डी.ई.ओ.

(दिनेश कुमार)
सहायक लेखाकार

AR(F)

Finance Officer
Bundelkhand University
JHANSI (U.P.)

क0	व्यय का शीर्षक	वास्तविक	वास्तविक	मूल अनुमान	वित्तीय वर्ष 2022-23 का सितम्बर तक अद्यतन	अक्टूबर, 2022	नवम्बर, 2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 का नवम्बर तक अद्यतन
सं0	मानक मद	2020–2021	2021–2022	2022–2023				
18	3.18–विविध व्यय	23.53	68.33	184.03	76.48	0.64	0.00	77.11
19	3.19–शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर वर्ग को पेंशन एवं सेवानिवृत्तिक लाभ	254.29	622.02	800.00	353.78	47.01	41.74	442.53
20	3.20–20 प्रतिशत वि.वि. अंश के विरूद्ध व्यय	106.58	145.12	445.32	72.31	6.57	23.01	101.90
21	3.21–वाहन क्रय (निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर)	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	3.22–बी.यू.आई.सी. से सम्बन्धित व्यय	2.73	6.44	10.00	6.12	1.84	2.25	10.21
23	3.23–राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान पर व्यय	14.16	5.44	20.00	6.26	2.53	0.71	9.49
24	3.24–यू.जी.सी. अनुदान से व्यय	0.00	0.00	200.00	0.00	0	0	0.00
25	3.25–अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान से व्यय	5.79	0.00	15.00	4.53	0.00	0.00	4.53
26	3.26–करों का भुगतान (गृहकर, जलकर आदि)	0.00	0.00	200.00	2.59	40.12	0.21	42.92
27	3.27–वि0वि0 के शोध छात्रों, परास्नातक एवं स्नातक छात्रों को छात्रवृत्ति	0.00	0.00	80.00	0.00	0	0	0.00
28	3.28–शिक्षकों हेतु शोध कार्य पर व्यय	0.00	0.00	50.00	4.85	0	0	4.85
29	3.29–पी.आई. (इम्प्रेस्ट) पर व्यय	0.00	0.00	25.00	3.19	0.20	0.74	4.13
30	3.30–सोलर सिस्टम की स्थापना	0.00	0.00	100.00	0.00	0	0	0.00
31	3.31–ई–गर्वनेस एवं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट	0.00	0.19	100.00	58.19	0.91	4.50	63.60
32	3.32–अग्रिम धनराशि पर व्यय	0.00	0.00	50.00	26.95	5.87	10.53	43.35
33	3.33–विज्ञापन व्यय	58.39	0.00	70.00	14.03	0.00	0.00	14.03
34	3.34–लीगल व्यय	3.56	6.69	25.00	11.33	0.53	1.44	13.30
35	3.35–मानदेय	0.00	0.00	5.00	4.99	0.00	0.00	4.99
36	3.36–एन.पी.एस. अंशदान	0.00	0.00	60.00	17.58	3.63	3.59	24.80
	योग :–	3620.39	4301.04	7328.48	2944.99	451.20	641.04	4037.23

डी.ए.ओ.

(दिनेश कुमार)
सहायक लेखाकार

AR(F)

Finance Officer
Bundelkhand University
JHANSI (U.P.)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

वित्तीय वर्ष 2021–2022 का संशोधित एवं वित्तीय वर्ष 2022–2023 का अनुमानित आय–व्यय

04–पूँजीगत् व्यय (धनराशि रू. लाख में)

क्र0	आय का शीर्षक	वास्तविक	वास्तविक	मूल अनुमान	वित्तीय वर्ष 2022-23 का सितम्बर तक अद्यतन	अक्टूबर, 2022	नवम्बर, 2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 का नवम्बर तक अद्यतन
सं0	मानक मद	2020–2021	2021–2022	2022–2023				
1.	4.01–पूँजीगत व्यय (शासन के अनुदान से)	0.00	0.00	1670.00	1.14	0.00	0.00	1.14
2.	4.02–पूंजीगत व्यय (वि0वि0 की बचतों से)	114.33	461.89	2638.00	2.34	0.00	0.00	2.34
3	4.03–लघु निर्माण कार्य(वि0वि0 की बचतों से) (आउटडोर स्टेडियम, चहारदीवारी, पार्क, सड़कों एवं नाले का निर्माण, छात्रावासों का लघु निर्माण, विद्युतीकरण (पैनल, पोल, ट्रान्सफार्मर) आदि)	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6.45	6.45
	योग :–	**114.33**	**461.89**	**4408.00**	**3.48**	**0.00**	**6.45**	**9.93**

(पंकज वर्मा)
डी.ई.ओ.

(दिनेश कुमार)
सहायक लेखाकार

AR(F)

Finance Officer
Bundelkhand University
JHANSI (U.P.)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

वित्तीय वर्ष 2021–2022 का संशोधित एवं वित्तीय वर्ष 2022–2023 का अनुमानित आय–व्यय

05–स्व–वित्त पोषित योजना (आय–पक्ष)

(धनराशि रू. लाख में)

क्र0	आय का शीर्षक	वास्तविक	वास्तविक	मूल अनुमान	वित्तीय वर्ष 2022-23 का सितम्बर तक अद्यतन	अक्टूबर, 2022	नवम्बर, 2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 का नवम्बर तक अद्यतन
सं0	मानक मद	2020–2021	2021–2022	2022–2023				
1.	5.01–प्रवेश परीक्षा शुल्क	160.31	147.97	175.00	110.47	29.26	10.61	150.34
2.	5.02–परिसर के एस.एफ.एस. पाठ्यक्रमों के छात्रों से प्राप्त शुल्क	2488.86	2815.84	3100.00	1298.86	745.19	572.02	2616.07
3.	5.03–विविध प्राप्तियां	0.52	0.41	0.41	4.26	0.09	0.15	4.50
4.	5.04–विलम्ब शुल्क	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	5.05–अग्रिम की वापसी	1.78	0.00	0.50	0.06	0.00	0.00	0.06
6.	5.06–काउन्सिलिंग शुल्क	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	5.07–चिकित्सा शुल्क (छात्रों से)	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	5.08–विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की बिक्री	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	5.09–विनियोजित धनराशि पर अर्जित ब्याज	151.00	260.23	250.00	182.93	0.00	0.00	182.93
	योग :–	**2849.91**	**3224.46**	**3526.91**	**1596.58**	**774.54**	**582.79**	**2371.12**

(पंकज वर्मा)
डी.ई.ओ.

(दिनेश कुमार)
सहायक लेखाकार

AR/F

Finance Officer
Bundelkhand University
JHANSI (U.P.)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

वित्तीय वर्ष 2021–2022 का संशोधित एवं वित्तीय वर्ष 2022–2023 का अनुमानित आय–व्यय

06–स्व–वित्त पोषित योजना (व्यय–पक्ष) (धनराशि रू. लाख में)

क्र0	व्यय का शीर्षक	वास्तविक	वास्तविक	मूल अनुमान	वित्तीय वर्ष 2022-23 का सितम्बर तक अद्यतन	अक्टूबर, 2022	नवम्बर, 2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 का नवम्बर तक अद्यतन
सं0	मानक मद	2020–2021	2021–2022	2022–2023				
1	6.01–शिक्षकों को मानदेय	1762.42	1773.05	2100.00	905.14	158.93	157.19	1221.26
2	6.02–शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मानदेय	588.46	558.60	650.00	289.07	49.34	46.01	384.42
3	6.03–अतिथि प्रवक्ताओं को मानदेय	1.21	2.10	5.00	0.00	0.24	0.00	0.24
4	6.04–डाक व्यय एवं टेलीग्राम	0.00	0.02	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6.05–टेलीफोन/फैक्स/ई–मेल/वी–सेट/वैबसाइट	0.45	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	6.06–यात्रा भत्ता	0.06	0.32	6.00	0.20	0.00	0.00	0.20
7	6.07–सेमिनार/सिम्पोजियम/वर्कशाप	0.30	0.02	0.00	0.00	0	0	0.00
8	6.08–अतिथि सत्कार	0.05	0.30	3.00	0.02	0.00	0.03	0.05
9	6.09–पशु गृह अनुरक्षण एवं फीड	1.04	1.34	4.00	0.26	0.14	0.99	1.39
10	6.10–छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण	1.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	6.11–छात्र कल्याण गतिविधि	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	6.12–विविध व्यय	8.35	4.40	10.00	9.64	0.30	0.33	10.27
13	6.13–शुल्क वापसी	11.70	19.60	25.00	0.00	1.30	6.79	8.09
14	6.14–ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	6.15–10% विश्वविद्यालय अंशदान	290	296.42	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	6.16–आई.ई.टी सस्नेबिलिटी फण्ड 8%	50.23	47.90	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग :–	**2715.48**	**2704.36**	**3310.00**	**1204.33**	**210.26**	**211.34**	**1625.92**

नोट :– इस प्रतिबन्ध के साथ कि व्यय आय से अधिक नहीं होगा।

(पंकज वर्मा) डी.ई.ओ. (दिनेश कुमार) सहायक लेखाकार (ARIF) Finance Officer Bundelkhand University JHANSI (U.P.)